

न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या -50/2011 एवं अपील 44/2011 जिला दौसा

1. कजोडराम पुत्र लक्ष्मण, जाति बैरवा, निवसी ग्रम भडंग्यावास, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
2. रामहेत
3. बाबू लाल
4. किशना

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सोहन लाल पुत्र मूल्या,
2. किशोर्या पुत्र मूल्या (फौत)
- 2/1 रविन्द्र उर्फ कालू
- 2/2 रोशन
- 2/3 जितेन्द्र  
पिसरान किशोर्या नाबालिक जरिये वली माता उगन्ती बेवा किशोर्या
- 2/4 मुन्नी पुत्री किशोर्या
- 2/5 उगन्ती बेवा किशोर्या  
समस्त जाति बैरवा, निवासी ग्रम भडंग्यावास, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
3. ग्रम पंचायत गांगदुवाडी तहसील सिकराय, जिला दौसा जरिये सरपंच, ग्रम पंचायत गांगदुवाडी, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 5.9.2011

उपस्थित-

1. वकील अपीलान्ट श्री राकेश जैमन
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री मुकेश शर्मा

अपील संख्या -44/2011 जिला दौसा

- 1/1 मनकी पत्नि मूल्या, जाति बैरवा, निवासी भडूंग्यावास तहसील सिकराय, जिला दौसा ।(मृतक)
- 1/1 रुकमणी पुत्री श्री मूल्या पत्नि हरगोविन्द, निवासी भरट्या की ढाणी, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
2. सोहन लाल पुत्र मूल्या, जाति बैरवा, निवासी ग्रम भडूंग्यावास, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बाबू लाल
2. रामहेत
3. किशना पुत्रा मूल्या, जाति बैरवा

4. किशोर्या पुत्र मूल्या (मृतक)
- 4/1 उगन्ती बेवा किशोर्या
- 4/2 रविन्द्र
- 4/3 रोशन
- 4/4 जीतू पुत्रान किशोर्या जाति बैरवा  
समस्त निवासी ग्राम भडूग्यावास, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
- 4/5 मुन्नी पुत्री किशोर्या पत्नि सुनील, जाति बैरवा, निवासी ग्राम पीचवाडा, ढाणी सोमाडा, तहसील बसवा, जिला दौसा ।
5. कजोडराम पुत्र लक्ष्मण, जाति बैरवा, निवासी ग्राम भडूग्यावास, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
7. उप पंजीयक, सिकराय, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 29.8.2011

उपस्थित-

1. वकील अपीलान्ट श्री मुकेश शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री राकेश जैमन

निर्णय

दिनांक 12.12.2017

यह द्वितीय दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 5.9.2011 एवं 29.8.2011 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :-

यह कि ग्राम भडंग्यावास, तहसील सिकराय, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 39/4 रकबा 10 बीघा की खातेदारी मूल्या कौम चमार के नाम थी जिसके फौत पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 200 ग्राम पंचायत गांगदवाडी द्वारा मृतक खातेदार मूल्या के पुत्रान बाबू लाल, रामहेत, किशाना, किशोर्या के नाम दिनांक 8.12.1988 को तस्दीक किया गया जिससे व्यथित होकर मूल्या की पत्नि मनकी एवं पुत्र सोहन लाल द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 23.2.2007 को प्रस्तुत की गई जो उप खण्ड अधिकारी सिकराय के अपीलाधीन आदेश 5.9.2011 द्वारा स्वीकार की जाकर मृतक खातेदार मूल्या की विरासत का नामांतरकरण संख्या 200 दिनांक 8.12.88 निरस्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार सिकराय को दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया । उप खण्ड अधिकारी सिकराय के उक्त निर्णय के खिलाफ विवादित भूमि के क्रेता अपीलान्ट कजोडराम पुत्र लक्ष्मण द्वारा यह अपील दफा 96 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सिकराय दिनांक 5.9.2011 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की, जो संख्या 50/2011 पर दर्ज की गई ।

जिला  
सिकराय  
उपखण्ड अधिकारी

यह कि मृतक खातेदार मूल्या की विरासत का नामांतरकरण संख्या 200 दिनांक 8.12.1988 मृतक मूल्या के पुत्रान बाबू लाल, रामहेत, किशना, किशोर्या का नाम स्वीकार होकर उनका नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित होने के पश्चात् उपरोक्त भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.4.1996 से कजोडराम पुत्र लक्ष्मण बैरवा को किया गया तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत गांगदवाडी द्वारा नामांतरकरण संख्या 263 केता कजोडराम के नाम दिनांक 8.6.1996 को स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर मृतक खातेदार मूल्या की पत्नी मनकी व मूल्या के पुत्र सोहन लाल द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष दिनांक 23.2.2007 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.2011 द्वारा पोषनीय नहीं होने के कारण खारिज की गई। उप खण्ड अधिकारी सिकराय के उक्त निर्णय दिनांक 29.8.2011 के खिलाफ मनकी देवी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.2011 एवं भूमि के केता कजोडराम के हक में तस्दीक नामांतरकरण संख्या 263 दिनांक 8.6.1996 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की, जो अपील संख्या 44/2011 पर दर्ज की गई।

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अपील संख्या 50/2011 के अपीलान्ट एवं अपील संख्या 44/2011 के रेस्पोंडेन्ट कजोडराम के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि 10 बीघा में से 1/2 हिस्से की 5 बीघा भूमि कजोडराम ने रेकार्डेड खातेदारान बाबू लाल, रामहेत, किशना, किशोर्या से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कय की थी ओर विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 263 विवादित भूमि के केता कजोडराम के नाम ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक कर दिया था जिसकी जानकारी अपील संख्या 50/2011 के रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 एवं अपील संख्या 44/2011 के अपीलान्ट संख्या 2 सोहन लाल को प्रारम्भ से ही थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया। अधीनस्थ न्यायालय ने कजोडराम को बिना सुने अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.9.2011 द्वारा मृतक खातेदार मूल्या की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 200 दिनांक 8.12.88 निरस्त कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है। उनका कहना था कि मृतक मूल्या की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 200 में मनकी व सोहन लाल पक्षकार नहीं थे इसलिये उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामांतरकरण संख्या 200 के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत लेनी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामांतरकरण संख्या 200 दिनांक 8.12.88 के खिलाफ मनकी पत्नी मूल्या द्वारा अपील दिनांक 23.2.2007 को मियाद बाहर पेश की थी जबकि प्रश्नगत नामांतरकरण का ज्ञान उन्हें प्रारम्भ से ही था तथा विलम्ब का कारण भी कपोल कल्पित अंकित किया है। उनका कहना था कि कजोडराम विवादित भूमि का विधिवत केता है और राजस्व अभिलेख में अभिलिखित सहखातेदार होने से उसे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5.9.2011 के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। अतः अपील संख्या 50/2011 के साथ अपील प्रस्तुत करने की इजाजत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जा.दी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किये बिना ही प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 200 दिनांक 8.12.1988 को निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के संबंध में एक नियमित वाद दुरुस्ती

चित्रा  
संभाषित  
व्यक्ति

इन्द्राज, उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें उनके अधिकारों का निर्धारण होना है । नियमित वाद के लम्बित रहते नामांतरकरण संख्या 200 की अपील कानूनी रूप से चल नहीं सकती । नियमित वाद पेश होने से पूर्व के राजस्व रेकार्ड की स्थिति कानूनन यथावत रहती है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने नियमित वाद के विचाराधीन रहते प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 200 को निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है ।

अपील संख्या 44/2011 मनकी बनाम बाबू लाल में रेस्पोंडेन्ट की ओर से उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट कजोडराम ने विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि के रेकार्डेड खातेदारों से क्रय की थी और पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता कजोडराम के नाम नामांतरकरण संख्या 263 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 8.6.96 को तस्दीक कर दिया था जिसके खिलाफ मनकी पत्नी मूल्या द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष अपील दिनांक 23.2.2007 को मियाद बाहर पेश की थी जबकि प्रश्नगत नामांतरकरण का ज्ञान उन्हें प्रारम्भ से ही था । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.2011 से नामांतरकरण संख्या 263 को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक होने से वैध मानते हुये अपीलान्त मनकी पत्नी मूल्या की अपील अपीलान्त पोषनीय नहीं होने से खारिज की है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपीलान्त कजोडराम की अपील अपील संख्या 50/2011 स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सिकराय दिनांक 5.9.2011 निरस्त किया जावे तथा मनकी पत्नी मूल्या की अपील संख्या 44/2011 खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सिकराय दिनांक 29.8.2011 यथावत रखा जावे ।

अपील संख्या 50/2011 कजोडराम बनाम सोहन लाल में रेस्पोंडेन्ट एवं अपील संख्या 44/2011 मनकी बनाम बाबू लाल में अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार मृतक मूल्या के बाबू लाल, रामहेत, किशना, किशोर्या व सोहन लाल पुत्रान व मनकी पत्नी विधिक वारिसान है, लेकिन मूल्या की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 200 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 8.12.88 को सोहन लाल पुत्र मूल्या व मनकी पत्नी मूल्या को सुनवाई का अवसर दिये बिना, बिना नोटिस दिये व मूल्या के विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही मूल्या के पुत्रान बाबूलाल, रामहेत, किशना व किशोर्या के नाम स्वीकार कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है । उनका कहना था कि कजोडराम को वर्ष 1996 के विक्रय पत्र के पश्चात् विवादित भूमि में अधिकार प्राप्त हुये हैं । विरासत के नामांतरकरण की अपील में विवादित भूमि के क्रेता कजोडराम को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं थी । उनका कहना था कि विक्रय पत्र पर विक्रेताओं के हस्ताक्षर भी संदिग्ध होना प्रतीत होते हैं । कजोडराम द्वारा बिना तकासमा कराये भूमि क्रय की है, जो विधि विरुद्ध है । मनकी व सोहन लाल को मूल्या की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 200 दिनांक 8.12.88 एवं भूमि के क्रेता कजोडराम के हक में तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 263 दिनांक 8.6.96 का ज्ञान सर्वप्रथम दिनांक 30.1.2007 को होने पर नामांतरकरणों की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी से अन्दर मियाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पृथक पृथक दो अपील प्रस्तुत की थी । मृतक खातेदार मूल्या की विरासत के नामांतरकरण संख्या 200 दिनांक 8.12.88 के खिलाफ मनकी की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.9.2011 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 200 दिनांक 8.12.88 निरस्त करते हुये प्रकरण

चित्र

व्यक्तिगत

संभागाध्यक्ष

बयपुर

तहसीलदार सिकराय को उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया है , जो उचित एवं विधिसम्मत है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी पक्षकारों की सुनवाई होकर नामांतरकरण के संबंध में पुनः निर्णय पारित होगा । अतः अपील संख्या 50/2011 कजोडराम बनाम सोहन लाल खारिज किये जाने योग्य है ।

अपील संख्या 44/2011 मनकी बनाम बाबू लाल में उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.9.2011 से विवादित भूमि के मूल खातेदार मूल्या की विरासत का नामांतरकरण संख्या 200 दिनांक 8.12.88 खारिज कर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है तथा इसी भूमि के क्रेता कजोडराम के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 263 दिनांक 8.6.96 के खिलाफ मनकी की अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.2011 से नामांतरकरण को वैध मानते हुये खारिज की है । उनका कहना था कि जब मूल मृतक खातेदार मूल्या की विरासत का नामांतरकरण संख्या 200 दिनांक 8.12.88 अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.9.2011 से खारिज जो चुका है तो उसी भूमि के क्रेता के हक में तस्दीक नामांतरकरण संख्या 263 दिनांक 8.6.96 स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया है , जिसे विधिक रूप से बनाये नहीं रखा जा सकता । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.2011 त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरुद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील संख्या 50/2011 कजोडराम बनाम सोहन लाल खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.9.2011 यथावत रखा जावे तथा अपील संख्या 44/2011 मनकी बनाम बाबू लाल स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश 29.8.2011 एवं नामांतरकरण संख्या 263 दिनांक 8.6.96 निरस्त किये जावे । अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2012 (2) पेज 850, आर.आर.डी. 1994 पेज 607, आर.बी.जे.(9) 2002 पेज 108, आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 806, आर.आर.टी. (1) पेज 540 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद विवादित भूमि के खातेदार मृतक मूल्या की विरासत का है । मूल्या की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 200 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 8.12.88 को मूल्या के पुत्र सोहन लाल व मूल्या की पत्नी मनकी को छोड़ कर शेष पुत्रान बाबू लाल, रामहेत, किशना व किशोरया के नाम तस्दीक कर दिया । मूल्या के पुत्रान बाबू लाल, रामहेत, किशना व किशोरया के नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित होने के बाद उनके द्वारा 1/2 हिस्से की भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कजोडराम को किये जाने पर विक्रय पत्र के आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 263 दिनांक 8.6.96 को ग्राम पंचायत द्वारा भूमि के क्रेता कजोडराम के नाम तस्दीक किया है । दोनों नामांतरकरणों के खिलाफ मनकी पत्नी मूल्या ने पृथक पृथक अपीलें न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष प्रस्तुत की जिनमें से नामांतरकरण संख्या 200 दिनांक 8.12.88 के खिलाफ अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.9.11 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 200 दिनांक 8.12.88 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार सिकराय को दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया है तथा क्रेता कजोडराम के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 263 दिनांक 8.6.96 के खिलाफ अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.2011 द्वारा खारिज की है । पक्षकारों के मध्य एक वाद उद्घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष विचाराधीन है ।

चित्रा  
अतिरिक्त संशोधन का कार्य

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रकरण में मनकी पत्नी मूल्या व सोहन लाल पुत्र मूल्या को मृतक खातेदार मूल्या की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 200 दिनांक 8.12.88 में ग्राम पंचायत द्वारा छोड़ना एवं उन्हें नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं देना न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.9.2011 द्वारा मूल्या की विरासत का नामांतरकरण संख्या 200 दिनांक 8.12.88 निरस्त कर प्रकरण उपरोक्त विवेचनानुसार सभी पक्षों की सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड किया है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा इस अपीलाधीन आदेश के खिलाफ कजोडराम बनाम सोहन लाल उनवानी अपील संख्या 50/2011 खारिज की जाती है।

चूंकि कजोडराम विवादित भूमि का विधिवत क्रेता है और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर कजोडराम के नाम नामांतरकरण संख्या 263 दिनांक 8.6.96 ग्राम पंचायत गांगदवाडी द्वारा तस्दीक किया गया था जिसके खिलाफ मनकी पत्नी मूल्या की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.2011 द्वारा पोषनीय नहीं होने के कारण खारिज की है। इस संबंध में मेरा मानना है कि जब मूल खातेदार मूल्या की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 200 दिनांक 8.12.88 अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.9.2011 द्वारा खारिज किया जा चुका था तो उसी भूमि के क्रेता के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 263 के खिलाफ अपील को खारिज किया जाकर नामांतरकरण संख्या 263 को वैध करार देना उचित एवं विधिसम्यक नहीं है क्योंकि जब मूल खातेदार की विरासत का नामांतरकरण संख्या 200 ही निरस्त हो गया तो उसके पश्चात् के नामांतरकरण स्वतः ही निष्प्रभावी हो गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.8.2011 को न्यायिक दृष्टि से बनाये नहीं रखा जा सकता तथा मनकी बनाम बाबू लाल उनवानी अपील संख्या 44/2011 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सिकराय दिनांक 29.8.2011 एवं नामांतरकरण संख्या 263 दिनांक 8.6.96 निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को मृतक मूल्या की विरासत के नामांतरकरण संख्या 200 के प्रकरण के साथ ही इस प्रकरण में भी उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

चित्रा  
 प्रतिरिक्त (चित्रा गुप्ता)  
 आति सम्भागीय आयुक्त,  
 जयपुर